

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 465]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर 2015—कार्तिक 29, शक 1937

विधि (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2015

फा. क्र. 56-2015-चार-470.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 56-2015-PPS-II, दिनांक 9 नवम्बर 2015 राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की जाती है.

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 2015—18 कार्तिक, 1937 (शक)

शुद्धिपत्र

संख्या : 56-2015-रा.दल-अनु-II.—भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड 3, उपखंड (iii), तारीख 13-01-2015 में प्रकाशित, हिन्दी अधिसूचना संख्या 56/2015 रा.दल.अनु-II, दिनांक 13-01-2015 में—

1. हिन्दी अधिसूचना के पृष्ठ संख्या 3 में अंकित सारणी के स्तम्भ 3 के अन्तर्गत क्रम सं. 4 (1) में “बिहार राज्य” की “जनता दल (यूनायटेड)” के रूप में विद्यमान प्रविष्टि को “जनता दल (यूनाइटेड)” पढ़ा जाए.

आदेश से,
हस्ता./-
(वरिन्डर कुमार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 9th November 2015—18, Kartika, 1937 (Saka)

CORRIGENDUM

No. 56-2015-PPS-II.—In the Hindi Version of the Commission's Notification No. 56-2015-PPS-II, dated 13-01-2015, published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (iii), dated 13-01-2015 :—

1. At page 3 of the Hindi version of the Notification in column 3 against Sl. No. 4(1) in respect of “Janata Dal (United)” the existing entry may be read as “जनता दल (यूनाइटेड)”.

By order,

Sd./-

(VARINDER KUMAR)

Secretary,

Election Commission of India.